

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2017

भोपाल दिनांक / /2017

शुद्धि आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के स्थानान्तरण आदेश क० 9/नर्सिंग/सेल 2/2016/990 दिनांक 24.11.2016 के सरल क. 51 पर अंकित श्रीमती किरण मईका, का स्थानान्तरण जिला चिकि. मंदसौर से जिला चिकित्सालय रतलाम किया गया था।

नाम में त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त नाम के स्थान पर इनका नाम सुश्री किरण मईका पढ़ा जावे। आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेगी।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 10/3/2017

पृ०क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2017/233

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक, एच.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रतलाम के पत्र क. स्था./2016/908 दिनांक 3.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. सुश्री किरण मईका जिला चिकि. रतलाम मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2016/1088

भोपाल दिनांक 20/12/2016

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/1086-1087 दिनांक 19/12/2016 द्वारा श्रीमती सरोज बैगा, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय श्योपुर का स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय उमरिया किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/1089

भोपाल दिनांक 20/12/2016

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
4. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)।
5. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा एवं ग्वालियर संभाग म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक श्योपुर एवं उमरिया मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्थानान्तरण आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. श्रीमती सरोज बैगा, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय श्योपुर की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-2/2016/1086

भोपाल दिनांक 19/12/2016

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती सरोज बैगा, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय श्योपुर को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित कर जिला चिकित्सालय उमरिया में अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/1087

भोपाल दिनांक 19/12/2016

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्रालो, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
4. स्टाफ ऑफिसर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)।
5. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा एवं ग्वालियर संभाग म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक श्योपुर एवं उमरिया मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्थानान्तरण आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. श्रीमती सरोज बैगा, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय श्योपुर की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

19-12-2016

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/992

भोपाल दिनांक 24/11/2016

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती रजनीश पटेल, सिस्टर ट्यूटर जी.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित कर जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सीधी में अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/993

भोपाल दिनांक 24/11/2016

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा/उज्जैन संभाग मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी/मंदसौर मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।
8. श्रीमती रजनीश पटेल, सिस्टर ट्यूटर जी.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती 2016।

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश
24-11-2016

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/११०

भोपाल दिनांक 24/11/2016

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्टाफ नर्सों को स्वयं के व्यय पर कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाये गये स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-


क्र.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम
1	2	3	4
1	सुधा मरावी	जिला चिकि. कटनी	जिला चिकि. अनूपपुर
2	विनिता लक्षणे	जिला चिकि खण्डवा	जिला चिकि. सिवनी
3	प्रियंका राठौर	जिला चिकि. खरगौन	जिला चिकि. बड़वानी
4	रीना गुप्ता	जिला चिकि सीधी	जिला चिकि देवास
5	शशिकला पटेल	प्राथ. स्वा. केन्द्र करही, जिला खरगौन	जिला चिकित्सालय, जबलपुर
6	मालती चौबे	प्रा.स्वा.के. देवरीकला जिला सागर	जिला चिकि. जबलपुर
7	रानी खंपरिया	सा.स्वा.के. बिजावर जिला छतरपुर	जिला चिकि कटनी
8	लक्ष्मी चांदे	जिला चिकि. अनुपपुर	जिला चिकि खण्डवा
9	ज्योति वास्केल	जिला चिकि खण्डवा	जिला चिकि खरगौन
10	प्रियंका मण्डलोई	सामु स्वा केन्द्र बडनगर जिला उज्जैन	सी.एम.एच.ओं. खरगौन के अधीन
11	विभा पटैल	जिला चिकि खण्डवा	जिला चिकि मण्डला
12	रुबी बानवाशाह	सिविल हॉस्पिटल सेधवा जिला बड़वानी	जिला चिकि मंदसौर
13	रेखा संदीप	जिला चिकि अलीराजपुर	जिला चिकि मंदसौर
14	संगीता तेली	प्रा.स्वा.के. बोरी जिला अलीराजपुर	जिला चिकि मंदसौर
15	स्नेहलता वैष्णव	जिला चिकि बड़वानी	जिला चिकि. मंदसौर
16	राधा कुमावत	सामु स्वा. केन्द्र गौगावा जिला खरगौन	जिला चिकि. मंदसौर
17	रंजीता मालवीय	सामु स्वा केन्द्र सेधवा जिला बड़वानी	जिला चिकि. नीमच
18	सपना मालवीय	जिला चिकि बड़वानी	जिला चिकि. नीमच
19	रश्मि संगर	जिला चिकि मंदसौर	जिला चिकि. नीमच
20	मानू ठाकुर	जिला चिकि कटनी	जिला चिकि रतलाम
21	अनामिका ठाकरे	सि.हा. बैगमगज जिला रायसेन	सि.हा. बीना जिला सागर

22	वेदबाई पटेल	सि.अस्प. सिहोरा जिला जबलपुर	जिला चिकि सतना
23	अनुराधा ठाकुर	सा.स्वा.के. कसरावद, जिला खरगौन	जिला चिकि. सिवनी
24	नीलम चौहान	सा.स्वा.के.विजावर जिला छतरपुर	जिला चिकि. सिवनी
25	मोनिका विश्वकर्मा	प्रा.स्वा.के. बरगी जिला जबलपुर	सी.एम.एच.ओ. सिवनी के अधीन
26	प्रवीण गुप्ता	जिला चिकि सतना	सामु स्वा केन्द्र मझौली जिला सीधी
27	पूजा मिश्रा	जिला चिकि दमोह	जिला चिकि.सिंगरौली
28	पूनम कुमारी	सामु.स्वा.केन्द्र ब्यंकटकनगर जिला अनूपपुर	जिला चिकि.सिंगरौली
29	इन्द्रावती विश्वकर्मा	जिला चिकि छतरपुर	जिला चिकि सिंगरौली
30	सुनीता चौरासिया	जिला चिकि छतरपुर	जिला चिकि टीकमगढ
31	शरम बाई कनेश	सिविल अस्प. ब्योहारी जिला शहडोल	सी.एच.सी कसरावद जिला खरगौन
32	करुणा पटेल	सी.एच.सी कसरावद जिला खरगौन	सिविल अस्प. ब्योहारी जिला शहडोल
33	सिल्विया पीटर	जिला चिकि बालाघाट	जिला चिकित्सालय छिन्दवाडा
34	दिव्या बिसेन	जिला चिकित्सालय छिन्दवाडा	जिला चिकि बालाघाट
35	रामकन्या चौहान	जिला चिकि झाबुआ	जिला चिकि धार
36	नितिशा वाखला	जिला चिकि धार	जिला चिकि झाबुआ
37	प्रिती चक्रवती	सा.स्वा.के.पानसेमल जिला बडवानी	सा.स्वा.के. गोहद जिला भिण्ड
38	रजनी लोधी	जिला चिकि. टीकमगढ	जिला चिकि. पन्ना
39	प्रिया पटले	जिला चिकि. भिण्ड	जिला चिकि. सिवनी
40	दीपिका जान्सन	सा.स्वा.के. आरोन जिला गुना	सा.स्वा.के. खुरई जिला सागर
41	पूनम मेहरा	सा.स्वा.के. इंगोलिया जिला उज्जैन	सा.स्वा.के. सिलवानी जिला रायसेन
42	शैलेश मोदी	सा.स्वा.के. सबलगढ जिला मुरैना	सी.एम.एच.ओ. होशंगाबाद के अधीन
43	राधा कुमावत	सा. स्वा. के. गोगावा जिला खरगौन	जिला चिकि. मंदसौर
44	संगीता पट्टा	जिला चिकि. सीधी	जिला चिकि. डिण्डोरी
45	मेघा सोनी	जिला चिकि. भिण्ड	जिला चिकि. विदिशा
46	प्रियंका बडोले	सिविल हॉस्पिटल सेधवा जिला बडवानी	जिला चिकि. बुरहानपुर
47	सुनीता चौरासिया	जिला चिकि. छतरपुर	जिला चिकि. टीकमगढ
48	निशा विश्वकर्मा	सिविल अस्प. अम्बाह जिला मुरैना	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी होशंगाबाद के अधीन
49	उत्तमा सिंह	सिविल अस्प. मैहर जिला सतना	सिविल अस्प. त्योंथर जिला रीवा

50	संगीता	पी.एच.सी बोरी जिला अलीराजपुर	जिला चिकि. मंदसौर
51	किरण मईका	जिला चिकि. मंदसौर	जिला चिकि. रतलाम
52	आकांक्षा सिंह	सा. स्वा. के. सवलगढ जिला मुरैना	जिला चिकि. सतना
53	मोनिका तिवारी	जिला चिकि. पन्ना	जिला चिकि. सीधी
54	चेतना चौहान	जिला चिकि. रतलाम	जिला चिकि. उज्जैन
55	ज्ञानती उइके	जिला चिकि. श्योपुर	जिला चिकि. उमरिया
56	नेहा मिश्रा	जिला चिकि. दमोह	जिला चिकि. कटनी
57	ऋतु उईके	सामु. स्वा. केन्द्र आरोन जिला गुना	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी सिवनी के अधीन
58	साधना सिंह	जिला चिकि. गुना	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी सतना के अधीन
59	कृष्णा वंशकार	सामु. स्वा. केन्द्र अमरपुर जिला डिण्डोरी	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी मण्डला के अधीन
60	करुणा पटेल	जिला चिकि. सीधी	जिला चिकि. सतना
61	आरती अहिरवार	प्राथ. स्वा. केन्द्र बम्हौरी कला जिला टीकमगढ	सामु स्वा केन्द्र रेहली जिला सागर
62	सीमा वर्मा	सामु. स्वा. केन्द्र शाडौरा जिला अशोकनगर	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी रीवा के अधीन
63	दिव्या सक्सेना	सा.स्वा.के. गंधावल जिला बडवानी	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी उज्जैन के अधीन
64	रुचि शुक्ला	जिला चिकि. मंदसौर	जिला चिकि. अनुपपुर
65	पूनम शुक्ला	जिला चिकि. सीधी	जिला चिकि. सिंगरौली
66	मनोरमा कलम	सामु. स्वा. केन्द्र बेगमगंज जिला रायसेन	जिला चिकि. देवास
67	सरोज नागवंशी	जिला चिकि. नरसिंहपुर	जिला चिकि. जबलपुर
68	सीमा मरकाम	जिला चिकि. नीमच	मुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी होशंगाबाद के अधीन
69	रिकू कुशवाह	सामु. स्वा. केन्द्र शाडौरा जिला अशोकनगर	जिला चिकि. सिंगरौली

उपरोक्त स्टाफ नर्सों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।



2. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
3. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ 0/C
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 24/11/2016

पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/991

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अनुपपूर, सिवनी, बड़वानी, देवास, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंडला, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, शहडोल, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, धार, भिण्ड, पन्ना, रायसेन, होशंगाबाद, डिण्डोरी, विदिशा, बुरहानपुर, रीवा, उज्जैन, उमरिया मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।
8. संबंधित कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती 2016।

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ 0/C
मध्यप्रदेश

24-11-2016

(133)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /02/2016

कमांक /135/2016/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती किरणदास, सिस्टर
ट्यूटर, पल्मोनरी मेडिसीन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल की सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति से
वापिस लेते हुए इन्हें जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, रायसेन में सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदस्थ
करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23 FEB 2016
2920

(डॉ. बनी अहमद खॉन)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23/02/2016

430 / 135 / 2016 / सत्रह / मेडि-1
24-02-16

पू.कमांक 433 / 135 / 2016 / सत्रह / मेडि-1
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
स्टाफ आफीसर / निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल
4. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल,
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल,
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, रायसेन,
8. जिला कोषालय, अधिकारी, भोपाल एवं रायसेन,
9. संबंधित श्रीमती किरणदास, सिस्टर ट्यूटर, पल्मोनरी मेडिसीन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल,
10. विभागीय जांच / स्टाफ फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Doc (Nursing)
24/2/16

C-1

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 16 /

भोपाल दिनांक / 4 / 2016

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्टॉफ नर्सों को स्वयं के व्यय पर कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना संस्था से कॉलम क्रमांक 4 में दर्शायी गई संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है -

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम
1	2	3	4
1	रूपाली पटेल	क्षय चिकि. नौगाव जिला छतरपुर	जिला चिकि. कटनी
2	बिनुमोल मैथ्यू	सामु स्वा. केन्द्र बकस्वाहा जिला छतरपुर	सी.एम.एच.ओ. जबलपुर के अधीन
3	नसीम बानो	जिला चिकि. श्योपुर	जिला चिकि. नीमच
4	निशा सितौला	सिविल अस्पताल रामपुरा नीमच	सी.एम.एच.ओ. सीहोर के अधीन
5	आशा बर्मन	जिला चिकित्सालय गुना	सी.एम.एच.ओ. छिन्दवाड़ा के अधीन
6	सुशीला दास	जि.चि.छतरपुर	जिला चिकि. उमारिया
7	लता झोडीया	जिला अस्पताल मंदसौर	सामु स्वा.केन्द्र शिवगंढ. नामली जिला रतलाम
8	पूनम चौहान	सिविल अस्पताल मंदसौर	सामु स्वा.केन्द्र सेलाना जिला रतलाम
9	निहारिका श्रीवास्तव	प्राथ. स्वा. केन्द्र मक्सी जिला शाजापुर	जिला चिकि. उज्जैन
10	मालती विजवल	सामु. स्वा. केन्द्र बदरवास, जिला शिवपुरी	सामु. स्वा. केन्द्र नामली, जिला रतलाम
11	नीता पाण्डे	जिला चिकि. दमोह	सि.अ. लांड़ी जिला बालाघाट
12	निकिता पटेल	जिला चिकि. खण्डवा	जिला चिकि. मण्डला
13	प्रभादेवी गुप्ता	जिला चिकि. सीधी	सामु. स्वा. केन्द्र. अमरपाटन जिला सतना
14	रागिनी मिश्रा	सामु. स्वा. केन्द्र लवकुश नगर जिला छतरपुर	जिला चिकि. देवास
15	रोशनी चौरसिया	जिला चिकि. नीमच	जिला चिकि. ग्वलियर
16	संध्या सिंह	जिला चिकि. मुरैना	जिला चिकि. शहडोल
17	जैनीफर निकोलस	जिला चिकि. टीकमगढ़	सिविल अस्पताल, सिहोरा जबलपुर
18	रजनी झारिया	जिला चिकि. शहडोल	जिला चिकि. मण्डला
19	नीमलता पटले	जिला चिकि. गुना	सी.एम.एच.ओ. जबलपुर के अधीन
20	शिप्राली मेश्राम	सामु. स्वा. केन्द्र बडामलहरा जिला छतरपुर	सी.एम.एच.ओ. जबलपुर के अधीन
21	कृष्णा सूर्यवंशी	जिला चिकि. मिण्ड	सी.एम.एच.ओ. छिन्दवाड़ा के अधीन
22	श्रीमती भूवनेश्वरी बसौने	जिला चिकि. शहडोल.	मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधिकारी बालाघाट के अधीन
23	श्रीमती नेहा भ्रमित	सि.अ. गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर	मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधिकारी बालाघाट के अधीन
24	श्रीमती लीला वर्मा	जिला चिकि. विदिशा	सि.अ. बैरागढ़ जिला भोपाल

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानान्तरित कर्मचारियों का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
2. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
3. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें, कि स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
4. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/455
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल दिनांक 18/4/2016

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. स्टाफ आफिसर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छतरपुर, कटनी, जबलपुर, श्योपुर, नीमच, सीहोर, गुना, छिन्दवाड़ा, उमरिया, मंदसौर, सुल्ताम, शाजापुर, उज्जैन, शिवपुरी, दमोह, बालाघाट, खंडवा, मंडला, सीधी, सतना, ग्वालियर, मुरैना, शहडोल, टीकमगढ़, भोपाल एवं भिण्ड म.प्र.।
7. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती 2016।

संचालक नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(DIPALIRASTO)
Health Commission
Madhya Pradesh

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/294

भोपाल दिनांक 4/3/2016

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	सरस्वती मरठे	सिस्टर ट्यूटर	जी.एन.एम.टी.सी. सिवनी	जी.एन.एम.टी.सी. बालाघाट	स्वयं के व्यय पर

उपरोक्त कर्मचारी को दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में ही संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य किया जाना संभव होगा, दो सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
2. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
3. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
4. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फ़ैक्स के माध्यम से करें।

(डॉ. जे. एल. मिश्रा)

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी एवं बालाघाट मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्थानान्तरण आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
8. श्रीमती सरस्वती मरठे, सिस्टर ट्यूटर, जी.एन.एम.टी.सी. सिवनी मध्यप्रदेश ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/203

भोपाल दिनांक 25/2/2016

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारियों को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम	स्थानान्तरण का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री रोनिका डी झागड़ा	स्टाफ नर्स	जिला चिकि. शाजापुर	सी.एम.एच.ओ. उज्जैन के अधीन	स्वयं के व्यय पर
2	रेखा पवार	स्टाफ नर्स	सी.एस.सी. हंडिया जिला हरदा	जिला चिकित्सालय देवास	स्वयं के व्यय पर
3	आराधना मसीह	स्टाफ नर्स	जिला चिकि शिवपुरी	सी.एम.एच.ओ. जबलपुर के अधीन	स्वयं के व्यय पर
4	जुलियट थॉमस	स्टाफ नर्स	जिला चिकि शिवपुरी	जिला चिकित्सालय रतलाम	स्वयं के व्यय पर
5	महिमा अतुलकर	स्टाफ नर्स	जिला चिकि राजगढ़	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद	स्वयं के व्यय पर
6	नीतू यदुवंशी,	स्टाफ नर्स	बरेली जिला रायसेन	सी.एम.एच.ओ. सिहोर के अधीन	स्वयं के व्यय पर
7	संध्या भूरिया	स्टाफ नर्स	प्राथ.स्वा.केंद्र विकासखंड उदयगढ़ जिला अलीराजपुर	सी.एच.सी. रामा सी.एम. एच.ओ. झाबुआ के अधीन	स्वयं के व्यय पर
8	मीता सिंह,	स्टाफ नर्स	सामु.स्वा.केंद्र जयसिंहनगर जिला सागर	सी.एम.एच.ओ. पन्ना के अधीन	स्वयं के व्यय पर
9	विष्णुजाट	स्टाफ नर्स	जिला चिकि. भिण्ड	जिला चिकित्सालय अशोकनगर	स्वयं के व्यय पर
10	सरिता बराठे,	स्टाफ नर्स	सिविल अस्प. व्यावरा जिला राजगढ़	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद	स्वयं के व्यय पर
11	अंकिता साहू	स्टाफ नर्स	सा.स्वा.के.खडियाहार जिला मुरैना	सी.एम.एच.ओ. सतना के अधीन	स्वयं के व्यय पर
12	कनकलता पाण्डेय	स्टाफ नर्स	जिला चिकि. सिंगरौली	जिला चिकित्सालय देवास	स्वयं के व्यय पर
13	अर्पिता सोलंकी	स्टाफ नर्स	सी.एच.सी. कल्याणपुरा जिला झाबुआ	जिला चिकित्सालय देवास	स्वयं के व्यय पर

उपरोक्त कर्मचारियों को दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में ही संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य किया जाना संभव होगा, दो सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा पर है, अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को



प्रेषित की जाये ताकि संबंधित कर्मचारी का स्थानान्तरण निरस्त किया जा सके। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन का होगा।

2. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैक्स के माध्यम से करें।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 25/2/2016

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/2016

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, झाबुआ, पन्ना, सतना, शाजापुर, हरदा, शिवपुरी, राजगढ़, रायसेन, अलीराजपुर, सागर, भिण्ड, मुरैना एवं सिंगरौली मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्थानान्तरण आदेश विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/

भोपाल दिनांक 29/1/2016

“संशोधित आदेश”

संचालनालय के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल-2/15/593 दिनांक 19.5.2015 के सरल क्र. 16 पर अंकित दीपमाला पवार, स्टाफ नर्स का जिला चिकित्सालय शिवपुरी से सी.एम.एच.ओ. बैतूल के अधीन किये गये स्थानान्तरण में आंशिक संशोधन करते हुए दीपमाला पवार को स्थानान्तरित कर सी.एम.एच.ओ. होशंगाबाद के अधीन पदस्थ किया जाता है। शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार रहेगीं।


(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/16/106

भोपाल दिनांक 29/1/2016

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल/ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बैतूल, शिवपुरी एवं होशंगाबाद म.प्र.।
4. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. संबंधित कर्मचारी दीपमाला पवार की ओर तत्काल पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती 2016।


संचालक (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

कमांक /9 /नर्सिंग /सेल-3 /16 /

भोपाल दिनांक /1 /2016

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा साक्षात्कार में चयन की गई स्टॉफ नर्स जो विभाग में नियमित स्टॉफ नर्स के रूप में पदस्थ है, को स्किल लैब में प्रशिक्षण कार्य हेतु उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई संस्था में समान सामर्थ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अर्न्तगत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारियों का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	पदस्थापित किये जाने वाले स्किल लैब का नाम
1	सुश्री प्रभा सिंह	जिला अस्पताल सीधी	स्किल लैब रीवा
2	सुश्री सुषमा साहू	टी.बी.अस्पताल सागर	स्किल लैब रीवा
3	सुश्री सुनीता शुक्ला	जिला अस्पताल अनुपपूर	स्किल लैब रीवा
4	सुश्री पूर्णिमा सिंह	जिला अस्पताल रीवा	स्किल लैब रीवा

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृकमांक /9 /नर्सिंग /सेल-3 /16 /68

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल दिनांक 19/1/2016

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के पत्र क्र. एन.एच.एम./एम.एच./2015-16/995 दिनांक 2.11.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर एवं रीवा मध्यप्रदेश।
4. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सागर,रीवा, अनुपपूर एवं सीधी मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
7. आदेश नस्ती।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 16 /

भोपाल दिनांक / 1 / 2016

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्टाफ नर्सों को स्वयं के व्यय पर कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना संस्था से कॉलम क्रमांक 4 में दर्शायी गई संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है -

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरित स्थान का नाम
1	2	3	4
1	कु. वर्षा नागवंशी	जिला चिकित्सालय उज्जैन	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ जबलपुर संभाग के विकल्प पर
2	श्रीमती नम्रता तिवारी	सा.स्वा.के.अजयगढ़ जिला पन्ना	जिला चिकि. दमोह
3	कु. पुष्पा सिंह	सा.स्वा.के.अमानगंज जिला पन्ना	जिला चिकि. सतना
4	सुश्री प्रिया पाण्डे	जिला चिकि. शिवपुरी	जिला चिकि. सतना
5	श्रीमती निशा त्रिपाठी	जिला चिकि. गुना	के.एन.के. चिकि. भोपाल
6	श्रीमती ज्योति पाटीदार	सिविल अस्पताल सेंधवा जिला बड़वानी	सी.एम.एच.ओ. धार के अधीन

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारियों का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।


1. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
2. प्रत्येक कार्यमुक्त आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
3. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्त आदेश में अंकित है।
4. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।



(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. स्टाफ आफिसर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन, पन्ना, दमोह, सतना, शिवपुरी, गुना, भोपाल, बड़वानी एवं धार म.प्र.।
7. अधीक्षक के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती 2015


संचालक नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश